उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम जीवाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 463/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/596

प्रार्थी :

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली

बनाम

अप्रार्थी :

1. जीवाराम पुत्र श्री कानाराम, निवासी 310, शिव वाटिका कॉलोनी, सुमेरपुर (हाल मैनेजर)
2. कानाराम पुत्र पोलाराम, निवासी जालौर चौराहा, सुमेरपुर (हाल प्रोपराईटर) फर्म मैसर्स शुभ लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, जालौर चौराहा, सुमेरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

–:निर्णय:–

दिनांक: 27.05.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.10.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी सुमेरपुर हमराह श्री कमल कुमार पंवार प्रवर्तन अधिकारी पाली द्वारा संयुक्त रुप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान जालौर चौराहा, सुमेरपुर स्थित एक प्रतिष्ठान मैसर्स शुभ लक्ष्मी रेस्टोरेण्ट पर पहूंचे। मौके पर जीवाराम पुत्र श्री कानाराम उपस्थित मिले, जिन्हांने खुद को मैनेजर होना बताया। मौके पर रुबरु मौतबिरान श्री संजय पुत्र कानाराम, निवासी 310, शिव वाटिका कॉलोनी, सुमेरपुर एवं श्री श्रवण पुत्र पोसाराम निवासी ग्राम हावला, तहसील जालोर, जिला जालौर हाल वेटर शुभलक्ष्मी रेस्टोरेन्ट सुमेरपुर की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) एचपी कम्पनी के पाये गये। मौके पर भट्टी से खाना बनाया जा रहा था। मौके पर आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गए तथा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

इस प्रकार गैस सिलेण्डर को अवैध रुप से भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग लिये जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रुकवाया जाकर मौके पर मैसर्स माधव गैस एजेन्सी, सुमेरपुर के प्रतिनिधि द्वारा हैंगिक स्केल से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गयी:–

वजन कि.ग्रा. में

क्र. स.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुए सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1.	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	27.500	15.500	12.00	381030

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम जीवाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2.	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.300	15.500	13.800	176959

इस प्रकार गैस सिलेण्डरों को अवैध रुप से व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध भण्डारण करना पाये जाने के फलस्वरुप मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) एचपी कम्पनी मय एक छोटी भट्टी को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु अल्ताफ हुसैन पुत्र लियाकत अली निवासी मुस्लिम कॉलोनी, जवाई बांध, सुमेरपुर हाल मैनेजर माधव गैस एजेन्सी, सुमेरपुर को सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्रापस लिये गये। निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार जीवाराम ने घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग में लेकर द्रवित पेट्रेलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 ए, सी. की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डेर (14.2 कि.ग्रा.) एच.पी. कम्पनी मय एक छोटी भट्टी को राज्यसात कराने के आदेश करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से काबिल अधिवक्ता श्री सखाराम देवासी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आज अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित आए।

पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन तथा सलंग्न दस्तावेजो के विश्लेषण उपरान्त न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अप्रार्थी द्वारा भरे हुए एवं खाली गैस सिलेण्डर का अवैध रुप से भण्डारण एवं संग्रहण किया जाना पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबंध 3(1)(c) की अवहेलना किए जाने से उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर कुल संख्या 02 मय भट्टी जिनका विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज तालिका अनुसार है, को राजसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सारणी में वर्णणानुसार घरेलु गैस सिलण्डरों का अवैध संग्रहण/भण्डारण एवं अवैध व्यवसायिक उपयोग किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 A(a) के प्रावधानान्तर्गत तथा Liquitied Petrolium Gas (Regulation of Supply and Distribution) Orders, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना के कारण उक्त 02 गैस सिलेण्डरों को मय भट्टी राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि जब्तशुदा उपरोक्त 02 गैस सिलेण्डरों को मय् भट्टी सुपुर्ददार गैस एजेन्सी से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र F.8618/खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F.04(23)/खा.ले./नीति/6A/89 दिनांक 16.11.1999 के अनुरुप ही जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

उनवान : सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली बनाम जीवाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त बाली, जिला कलेक्टर, पाली
बाली
दिनांक :

क्रमांक / रसद वि.प्र.स. / 463 / 2024 / 2025 /

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. जिला रसद अधिकारी, पाली
2. प्रवर्तन निरीक्षक, सुमेरपुर
3. जीवाराम पुत्र श्री कानाराम, निवासी 310, शिव वाटिका कॉलोनी, सुमेरपुर (हाल मैनेजर) फर्म मैसर्स शुभ लक्ष्मी रेस्टोरेण्ट, जालौर, चौराहा, सुमेरपुर

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली, जिला-पाली
बाली

Scanned with OKEN Scanner